न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 पुनरीक्षण नि.-760-I-16

दिनांक 2-3-16 को श्री मुकेश ... द्वारा प्रस्तुत/

2-3-16

50

श्रीमती रूचि पुत्र श्री गोपालकृष्ण पत्नी
अमित कोठारी आयु–28 वर्ष
निवासी–दबोह, तहसील–लहार जिला–**भिण्ड**
हाल निवासी–सेक्टर–36 नोएडा उ.प्र.

विरूद्ध

1. सूरज सिंह पुत्र चन्नी सिंह जाति–**ठाकुर**
   निवासी ग्राम–मुरावली हाल निवासी–**दबोह**
   तहसील–लहार, जिला–भिण्ड म.प्र.
2. सोबित सिंह पुत्र छोटेराज जाति–गुर्जर
   निवासी दबोह, तहसील–लहार, जिला–**भिण्ड**
3. लालाराम पुत्र नन्हा
   निवासी–दबोह, तहसील–लहार, जिला–**भिण्ड**

अधीक्षक (भू–अभिलेख) जिला–भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 198/**क्यू**–8/भू.प्र./सी./2015 में किये गये सीमांकन दिनांक 06–01–2016 एवं **प्रतिवेदन** दिनांक 08–02–2016 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–**राजस्व** संहिता 1959.

Belapurkar 2/3/16

महोदय,

आवेदिका निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करती है–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–</u>

1. यह कि, कस्बा दबोह स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 798 की आवेदक भूमि स्वामी है तथा सर्वे क्रमांक 797 का भूमि स्वामी अनावेदक क्रमांक–3 है आवेदक ने अपनी भूमि में से एक भूखण्ड का विक्रय अनावेदक–1 को किया था जिस पर अनावेदक–1 ने पक्की दुकाने निर्मित की है.

XXIX(a)-BR(H)-11

586

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-760-एक/16 **जिला -** भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.12.18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अधीक्षक भू-अभिलेख के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	